कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना सक्ती (छ.ग.)

ई–मेल zp-sakti.cg@nic.in

क्र./ 8707 /MGNREGA/ जि.पं./2024–25 सक्ती, दिनांक 13/12/2024

//प्रेस विज्ञप्ति//

छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद विभागाध्यक्ष कार्यालय विकास भवन, तृतिय तल, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर का पत्र क्र. 2514/वि–7/स्था./MGNREGA/2024 रायपुर, दिनांक 08.10.2024 पर दिए गए निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर में सहायक परियोजना अधिकारी, समन्वयक (तकनीकी), कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल, के संविदा रिक्त पद पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थीयों से आवेदन दिनांक 28/12/2024 सायं 5:30 बजे तक कार्यालय, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला – सक्ती (छ.ग) के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

सहायक परियोजना अधिकारी, समन्ववक (तकनीकी), कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के संविदा रिक्त पद पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, पदों की संख्या, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य जानकारी तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जिला कार्यालय परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला सक्ती के सूचना पटल तथा जिले के वेबसाइट https://sakti.cg.gov.in/en/ पर अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला– सक्ती(छ.ग.)

क्र./ 8708 /MGNREGA/ जि.पं./2024–25 सक्ती, दिनांक 13/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त,म.गां.रा.रो.गा. प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला सक्ती को सूचनार्थ।
6. जिला ई.डी.एम., जिला सक्ती (छ.ग.) को प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
7. जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला–सक्ती (छ.ग.) की ओर दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी समस्त जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि अपनें कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त विज्ञापन चस्पा करावें।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि अपनें कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त विज्ञापन चस्पा करावें।

कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला– सक्ती(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा
जिला–सक्ती (छ.ग.)

ई–मेल zp-sakti.cg@nic.in

क्र./8705 /MGNREGA/ जि.पं./2024–25 सक्ती, दिनांक 13/12/2024

//विज्ञापन//

छ.ग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी परिषद विभागाध्यक्ष कार्यालय विकास भवन, तृतिय तल, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक 2514/वि–7/स्था./MGNREGA/2024 रायपुर, दिनांक 08.10.2024 पर दिए गए निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर पर रिक्त अधोवर्णित पद हेतु विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी इच्छुक अभ्यार्थीयों से दिनांक 28.12.2024 सायं 5:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में सम्पूर्ण अर्हता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।

1. रिक्त पदों की जानकारी परिशिष्ट 01 में दर्शित है।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी परिशिष्ट 02 में दर्शित है।

परिशिष्ट – 1

क्र.	स्तर	पद का नाम	कुल रिक्त पद (अनारक्षित)	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	लेवल	रिमार्क
1	जिला स्तर	सहायक परियोजना अधिकारी	1	15600–39100	5400	12	संविदा
2		समन्वयक (तकनीकी)	1	15600–39100	5400	12	संविदा
3		कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	15600–39100	5400	12	संविदा
4		लेखापाल	1	5200–20200	2400	6	संविदा
कुल			04				

परिशिष्ट – 02

क्र	पद का नाम	वेतन बैण्ड (एकमुश्त मासिक वेतन)	शैक्षणिक अर्हता एवं मेरिट अंक		
			शैक्षणिक योग्यता	विवरण	अंक
1	सहायक परियोजना अधिकारी	(15600-5400-39100) 51780	प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन मान पर कार्य अनुभव	
				न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव	05
				05 वर्ष तक का अनुभव	10
				05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
2	समन्वयक तकनीकी	(15600-5400-39100) 51780	प्रथम श्रेणी– बी.ई./बी.टेक. सिविल/कृषि अभियान्त्रिकी उपरोक्त विषय में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभर्थियों को प्राथमिकता शैक्षणिक अर्हताओं का प्राथमिकता क्रम 1. पी.एच.डी. 2. एम.ई./एम.टेक. 3. बी.ई./बी.टेक.	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन मान पर कार्य अनुभव	
				न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव	05
				05 वर्ष तक का अनुभव	10
				05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

3	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	(15600-5400-39100) 51780	(1) प्रथम श्रेणी में बी.ई. (कम्प्यूटर साईंस)/बी.ई.(आई.टी.) /एम.सी.ए./एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस) से उत्तीर्ण। (2) डाटा नेट टेक्नालॉजी/जावा/ एम.एस.एस.क्यू.एल. /ओरेकल के ज्ञान को प्राथमिकता	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
				कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				डाटा नेट टेक्नालॉजी/जावा/एम.एस.एस.क्यू.एल./ओरेकल के ज्ञान पर	05
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	
				न्यूनतम 02 से 05 वर्ष तक का अनुभव	05
				05 वर्ष से अधिक का अनुभव	10
4	लेखापाल	(5200-2400-20200) 23350	1) 55 प्रतिशत में बी.कॉम. उत्तीर्ण (अ.ज.जा. एवं अ.जा. हेतु 50 प्रतिशत में बी. कॉम उत्तीर्ण) 2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा. 3) कम्प्युटर में हिंदी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंक का Weightage देते हुए	50
				हायर सेकेण्डरी मे प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक Weightage देते हुए	20
				कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
				शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	
				न्यूनतम 01 से 02 वर्ष तक का अनुभव	05
				05 वर्ष तक का अनुभव	10
				05 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

आवेदन की नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना जिला सक्ती पिन 495687 के नाम से दिनांक 28.12.2024 को सायं 5:30 बजे तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई–मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 दिसम्बर 2024 के आधार पर की जावेगी।
3. आरक्षित पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता ही मान्य होगी।
5. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छ.ग. निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
6. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व–प्रमाणित (सत्यापित) होना आवश्यक है। स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
7. संविदा नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
8. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अंतर्गत किसी भी आवेदनकर्ता को पूर्व में सेवा समाप्ति अथवा बर्खास्त किया गया हो तो आवेदन अमान्य होगा। जानकारी छुपाकर आवेदन करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकता है/सेवा समाप्त की जा सकती है।

9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
12. संविदा नियुक्ति पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, बिना किसी पूर्व सूचना के भी आवश्यकता नही होने की दशा में सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
13. ऐसे अभ्यर्थी जिसे किसी कार्यालय द्वारा अनियमितता के कारण पद से पृथक किया गया हो या न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो। वह नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय/गैर शासकीय संस्थानों/निगम/मंडल में कार्यरत कर्मियों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त दोनों के नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त/अमान्य माना जायेगा।
15. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ की पात्रता नहीं होगी।
16. प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जावेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
17. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्त किया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूचि में रखे जायेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
18. आवेदन करनें की अंतिम तिथि के पश्चात् के जारी अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य मानें जायेंगे। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन स्लिप एवं बैंक का स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य है। वेतन स्लिप/बैंक स्टेटमेंट संलग्न नहीं करने पर अनुभव का अंक प्रदान नही किया जावेगा।
19. मूल आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाण पत्र/दस्तावेज ही मान्य होंगे। दावा आपत्ति में अभ्यर्थियों द्वारा पृथक से संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जावेंगे, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित दस्तावेज सावधानीपूर्वक संलग्न करें।
20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत वांछित योग्यता की अंकसूची में पूर्णांक, प्राप्तांक स्पष्ट नहीं होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय का गणना नियम/पत्रक स्व–प्रमाणित कर संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन अमान्य/निरस्त माना जायेगा।
21. विज्ञापित पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न करें।
22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करें।
23. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत किसी पद से पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नहीं की गई है वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। जानकारी छुपाकर आवेदन करने पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकता है/सेवा समाप्त की जा सकती है।
24. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं इसकी कोई सूचना नही दी जावेगी।
25. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम तथा वर्ग का उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
26. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
27. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

28. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
29. विज्ञापन आमंत्रण का आशय यह नहीं है कि उक्त पदों पर नियुक्ति बाध्यकारी होगा।
30. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
31. किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित किया जा सकता है तथा परिशिष्ट एक में दर्शाये गये पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
32. आवेदन पत्र के साथ स्पष्ट अक्षरों में स्वयं का पता लिखा हुआ 02 नग लिफाफा, 5-5 रूपये का डाक टिकट सहित संलग्न करें।
33. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला सक्ती की वेबसाईट https://sakti.cg.gov.in/en/ से अवलोकन किया जा सकता है। भविष्य में जारी होने वाले आदेश/निर्देश भी जिले के इसी वेबसाइट पर अपलोड किये जायेंगे। पृथक से कोई व्यक्तिगत सूचना जारी नहीं की जावेगी अतः अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट का नियमित अवलोकन अभ्यर्थियों को करना होगा।

कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला– सक्ती(छ.ग.)

पृ.क्र./8706 /MGNREGA/ प.नि / 2024–25 सक्ती, दिनांक 13/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त महोदय, बिलासपुर संभाग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा परिषद विभागाध्यक्ष कार्यालय विकास भवन, तृतिय तल, सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अपर विकास आयुक्त, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. परियोजना निदेशक,जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना, जिला – सक्ती को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
6. जिला रोजगार अधिकारी, जिला–सक्ती सूचनार्थ एवं सूचना पटल में चस्पा हेतु।
7. जिला जनसंपर्क अधिकारी,जिला–सक्ती को सूचनार्थ कर लेख है कि जिला के समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी जिला – सक्ती को सूचनार्थ कर लेख है कि जिला – सक्ती के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

कलेक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला– सक्ती(छ.ग.)